उत्तराखण्ड साहित्य गौरव पुरस्कार योजना– 2023

1 उद्देश्य

साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज को एक सही दिशा देने का महनीय कार्य करता है। समाज के इन युग पुरोधा पुरुषों का सम्मान करना संस्थान का पूनीत कर्तव्य है। इस कार्य में संलग्न विद्वानों को अग्रिम पंक्ति के आलोक में लाकर प्रोत्साहित किया जा सके, के लिए संस्थान ने पुरस्कार सम्मान योजना को अपनी वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया है, जिसे कार्य रूप में परिणत करने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड साहित्य गौरव पुरस्कार योजना" प्रारंभ की जा रही है।

4 पुरस्कार

उपरोक्त वर्णित पुरस्कारों को मौलिक पुस्तक लेखन के अन्तर्गत रूपये एक लाख, प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

5 पुरस्कारों का विवरण

पुरस्कार	विषय	पुरस्कार का नाम	विधा
उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	हिन्दी	महादेवी वर्मा पुरस्कार	महाकाव्य/खण्डकाव्य
		चन्द्रकुवर वर्त्वाल पुरस्कार	काव्य रचना
		शैलेश मटियानी पुरस्कार	कथा साहित्य
		डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार	अन्य गद्य विधाऐं
	पत्र/ पत्रिकाएं	भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार	साहित्य में मासिक/द्वैमासिक/ त्रैमासिक पत्रिकाओं पर
उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन	हिन्दी साहित्य	सुमित्रा नन्दन पंत पुरस्कार	हिन्दी भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस भाषा की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	लोक भाषा/	गुमानी पंत	कुमाउनी बोली, भाषा में

पुरस्कार	लोक साहित्य	पुरस्कार	दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इन बोली की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		भजन सिंह 'सिंह' पुरस्कार	गढ़वाली बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इन बोली की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		गोविन्द चातक पुरस्कार	अन्य उत्तराखण्ड की बोलीयों एवं उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इन बोली की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	उर्दू	प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार	उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत उर्दू साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	पंजाबी	अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार	पंजाबी में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत पंजाबी साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।

6 संचालन के मापदण्ड

1. पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियाँ विभिन्न समाचार पत्रों में इस प्रकार विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आमंत्रित की जायेंगी कि सभी क्षेत्रों में इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार हो जाये। संस्तुति/प्रस्ताव एक निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किये जायेंगे।
2. पुरस्कार चयन हेतु तीन सदस्यीय योग्य विद्वानों/विशेषज्ञों/समीक्षकों की सूची का निर्धारण/चयन संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। कार्यकारी अध्यक्ष के अभाव में निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा समीक्षकों/विशेषज्ञों का

चयन किया जायेगा।

3. प्रत्येक विधा/विषय में उपयुक्त प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने पर पुरस्कार देने की बाध्यता नहीं होगी।
4. उपरोक्त पुरस्कार राज्य स्तरीय होंगे। केवल उत्तराखण्ड के साहित्यकार उक्त पुरस्कार के लिए योग्य होंगे, इस हेतु उन्हें उत्तराखण्ड में जन्म का अथवा उत्तराखण्ड में 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं, का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. मौलिक/प्रकाशित/पुस्तकाकार रचना ही पुरस्कार के योग्य मानी जायेगी। अनुवादित कृति (अनुवादित साहित्य विधा को छोड़कर) विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया ग्रन्थ/प्रबन्ध या शोध कार्य पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा।
6. पुस्तक का प्रथम संस्करण पुरस्कार के लिए विचारणीय होगा।
7. विभिन्न खण्डों में विभाजित कृति का अपूर्ण खण्ड पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा। वर्ष विशेष में सभी खण्ड मुद्रित होने चाहिए।
8. ऐसी कृति, जिसे पहले उत्तराखण्ड या अन्य राज्यों से कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, या उत्तराखण्ड भाषा संस्थान से दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुवा हो, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिये सम्मिलित नहीं की जायेगी।
9. भाषा संस्थान के वर्तमान अधिकारियों, साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति तथा पुरस्कार समिति के वर्तमान सदस्य पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं होगे।
10. किसी एक लेखक को एक विधा में केवल एक बार पुरस्कृत किया जायेगा।
11. किसी एक पत्रिका को एक बार से अधिक पुरस्कृत नहीं किया जायेगा तथा पुरस्कार की धनराशि सीधे पत्रिका को दी जायेगी।
12. प्राप्त प्रविष्टियों में से चयन समिति के प्रत्येक सदस्य 100 पूर्णांक के आधार पर मूल्यांकन कर अंक प्रदान करेंगे। इसके पश्चात तीनों सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों को जोड़कर कुल योग पर विचार–विमर्श के उपरान्त पुरस्कार पर निर्णय

लिया जायेगा।

<u>मौलिक पुस्तक लेखना/ दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कारों के लिये अंक तालिका–</u>

क्र. स.	निर्णय का आधार	अंक
1	मौलिकता	40
2	भाषा एवं शैली	30
3	शास्त्रीय अनुशासन	30
	कुल अंक	100

13. पुरस्कार प्रविष्टि के लिए प्रत्येक पुस्तक की चार प्रतियाँ तथा पत्रिका विधा में वर्ष विशेष में प्रकाशित सभी अंकों की 4–4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।

14. दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार प्रविष्टि के लिए लेखक को अपनी सर्वोत्कृष्ट तीन पुस्तकें संस्थान को प्रेषित करनी होंगी, प्रत्येक पुस्तक की 4–4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।

15. पुरस्कार योजना में प्राप्त पुस्तकें/पत्रिकाएं वापस नहीं की जायेंगी। पुरस्कार हेतु प्रेषित पुस्तक के पाठ्य भाग की पृष्ठ संख्या कम से कम 60 होनी अनिवार्य है।

16. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर–बराबर बांट जी जायेगी।

17. पुरस्तकों पर देय पुरस्कारों में समान अंक होने पर जिस लेखक की आयु अधिक है, उसका चयन किया जायेगा।

18. समस्त प्रकार के सम्मानों के लिए निर्धारित संस्तुति प्रपत्र के साथ संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित होना आवश्यक है तथा जिसके नाम की संस्तुति की जा रही है, उसका जीवनवृत्त प्रपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त संस्तुतियों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त संस्तुतियों में सम्मान हेतु की गयी संस्तुतियों का मूल्यांकन करने

और उन में श्रेणी निर्धारण करने का अधिकार पुरस्कार समिति का होगा। पुरस्कार समिति सर्वसम्मति से किसी साहित्यकार की प्राप्त संस्तुतियों में सम्मान की श्रेणी में परिवर्द्धन/संशोधन भी कर सकती है।

19. लेखक/सम्पादक को निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण–पत्र देना होगा। अपेक्षित प्रमाण पत्र रहित कृति/पुस्तक/पत्रिका पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं मानी जायेगीः–

1–पुस्तक/पत्रिका का नाम .....
2–लेखक/पत्रिका सम्पादक का नाम.....
3–लेखक की जन्म तिथि.....
4–जन्म स्थान .....
5–लेखक/पत्रिका सम्पादक का पता.....
6– सर्वोत्कृष्ट चार पुस्तकों का नाम–.....
7–उत्तराखण्ड में जन्म लेने या उत्तराखण्ड में पिछले 15 वर्ष से लगातार रहने का प्रमाण–पत्र (संलग्न करने का उल्लेख) .....
8– पुस्तक की विधा का नाम (विज्ञापन के अनुसार) .....
9– पुरस्कार के लिए आवेदन (विज्ञापन के अनुसार).....
10–प्रकाशन वर्ष.....(प्रत्येक पुस्तक में प्रथम संस्करण के प्रकाशन का वर्ष मुद्रित होना अनिवार्य होगा।)
11–प्रकाशक का नाम और पता .....
(1) मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा रचित .....
शीर्षक पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रथम बार सन् ..... में प्रकाशित हुआ है।
(2) संबंधित पुस्तक का 60 प्रतिशत या उससे अधिक भाग पुस्तक के रूप में इससे पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक शोध प्रबन्ध नहीं है एवं न ही पाठ्य पुस्तक है।
लेखक/सम्पादक के हस्ताक्षरः.....
दिनांकः.....
पूरा पताः.....

7 अवधि– 01. पुरस्कार तालिका के क्रम संख्या–01 पर उल्लिखित उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से तीन वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति, मौलिक पुस्तक लेखन के लिये उपरोक्त वर्णित पुरस्कार होंगे। उदाहरण– वर्ष 2022 के पुरस्कार चयन के लिये जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।

02. पुरस्कार तालिका के क्रम संख्या–02 पर उल्लिखित पुरस्कार दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा, लेखक/साहित्यकार को अपनी जीवनप्रयत्न सर्वोत्कृष्ट तीन

पुस्तकें संस्थान को प्रेषित करनी होंगी।

8 पुरस्कारों की घोषणा एवं वितरण

1. चयनित सम्मानों एवं पुरस्कारों की घोषणा पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष अथवा निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा तत्काल कर दी जायेगी और यथा सम्भव सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानों/पुरस्कारों का वितरण किया जायेगा।
2. सम्मान प्राप्त करने वाले साहित्यकारों को यथा परम्परा सम्मान राशि, स्मृति चिह्न, सम्मान–पत्र तथा अंग–वस्त्र प्रदान किया जायेगा।
3. वर्ष विशेष में एक साहित्यकार को एक ही सम्मान/पुरस्कार दिया जायेगा।

9 सामान्य

1. यदि पुरस्कार प्रदान किये जाने के पूर्व किसी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति/पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जायेगा।
2. पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा।
3. पुरस्कार प्रदान किये जाने अथवा पुरस्कार चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया जायेगा।
4. चयन समिति एवं संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
5. संस्थान को उक्त सम्मान योजना को आवेदन पत्र प्राप्त होने, चयन–प्रक्रिया या सम्मान घोषित होने, या सम्पूर्ण पुरस्कार योजना को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. सम्मान योजना में संस्थान का निर्णय सर्वमान्य होगा।
7. यदि इन नियमों में से किसी भी उपबंध के लागू करने में कोई समस्या आती है, तो उस स्थिति में भाषा संस्थान उस समस्या का निवारण नियमानुसार करेगी।

10 विनियम शिथिल करने का अधिकार

जहां राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध कर के इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।